लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स अविध्ना इंटरप्राईजेज, पार्टनर–संजय कुमार, पिताः विश्वनाथ शर्मा, पताः न्यू पटना कॉलोनी, बेउर, जिला–पटना द्वारा जहानाबाद धाब नदी बालू घाटः ब्लॉक नंबर–16, मौजा–रूस्तम चक, ज्ञानी बीघा, मुरहरा, सिकंदरपुर, पंडौल, अंचल–रतनी फरीदपुर, जिला–जहानाबाद अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् दिनांक 16.08.2023 को अपराह्न 03:00 बजे अंचल कार्यालय, रतनी फरीदपुर जिला–जहानाबाद के प्रागंण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2388/2023, dated 11.05.2023 के आलोक में श्रीमति सुधा गुप्ता, अपर समाहर्ता, जहानाबाद (जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 16.08.2023 को अपराह्न 03:00 बजे अंचल कार्यालय, रतनी फरीदपुर जिला–जहानाबाद में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (**अनुलग्नक–1**)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 12.07.2023 को प्रकाशित की गयी थी (**प्रतिलिपि संलग्न**)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गया द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा जहानाबाद धाब नदी बालू घाटः ब्लॉक नंबर–16, मौजा–रूस्तम चक, ज्ञानीबीधा, मुरहरा, सिकंदरपुर, पंडौल, अंचल–रतनी फरीदपुर, जिला–जहानाबाद के लेसी प्रतिनिधि को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तद्नुसार लेसी प्रतिनिधि के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदया द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उदेश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव मॉगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नितिश कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुतीकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री संतोष सिंह, ग्रामः पंडौल, जिलाः जहानाबाद।	इनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन से कोई आपत्ति नहीं है परन्तु खनन के कारण नदी का जल स्तर नीचे जा रहा है; से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू खनन क्षेत्र में बालू की खुदाई 2 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक हीं किया जायेगा, जिससे नदी का जल स्तर बना रहे है। इस प्रकार श्री संतोष सिंह को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
2.	श्री मृत्युन्जय कुमार, ग्राम : ज्ञानी बीघा, जिलाः जहानाबाद।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर परिवहन किया जाये। साथ ही स्थानीय लोगो को रोजगार प्राप्त होगा अथवा नही; से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधो के देख–रेख एवं अन्य कार्यो में स्थानीय नागरिको को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा।

		तथा उपरोक्त सुझाव को प्रस्तावक प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया गया।
3.	श्री विकास रंजन, ग्राम : पंडौल, जिलाः जहानाबाद।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू परिवहन के दौरान रास्ते पर जो बालू गिरता है उसे रोकने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर परिवहन किया जायेगा। साथ ही वाहनों पर बालू का ओवरलोडिंग नहीं किया जायेगा। इस प्रकार श्री विकास रंजन को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
4.	श्री संदीप कुमार, ग्राम : रूस्तम चक, जिलाः जहानाबाद।	इनके द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण की रोक–थाम से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण की रोक–थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगाः–लेसी के द्वारा पुराने वाहनो का संचालन नही करने का निदेश दिया गया साथ ही वाहनों में तेज ध्वनि वाला हॉर्न का उपयोग नहीं करेगें। इस प्रकार श्री संदीप कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
5.	श्री गोल्डेन कुमार, ग्राम : ओकमा, जिलाः जहानाबाद।	इनके द्वारा प्रश्न पूछा गया कि बालू का खनन नदी के अंदर किया जाता है पर कभी कभी नदी के किनारे तक भी खनन किया जाता है, जिससे पेड़–पौधो को क्षति हो जाती है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू का उठाव सिर्फ नदी के अंदर भाग में ही किया जायेगा अगर नदी के बाहर/किनारे पर खुदाई का

		कार्य किया जाता है, तो स्थानीय प्रशासन से इसकी शिकायत की जा सकती है। शिकायत सही पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के उपर विधि सम्मत कार्रवाई करने का प्रावधान है। खनन का कार्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप ही किया जायेगा। इस प्रकार श्री गोल्डेन कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

लोक सुनवाई में उपस्थित आमजन के द्वारा पूछे गये प्रश्न एवं दिये गये सुझाव की गम्भीरता को देखते हुए अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें, घाटो पर बालू की खुदाई 2 मीटर गहराई तक ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

जन–सुनवाई के अतं में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीध्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्,
गया

अपर समाहर्ता,
जहानाबाद

उपस्थिति सूची

मेसर्स अविघ्ना इंटरप्राईजेज, पार्टनर–संजय कुमार, पिताः विश्वनाथ शर्मा, पताः न्यू पटना कॉलोनी, बेउर, जिला–पटना द्वारा जहानाबाद धाब नदी बालू घाटः ब्लॉक नंबर–16, मौजा–रूस्तम चक, ज्ञानीबीधा, मुरहरा, सिकंदरपुर, पंडौल, अंचल–रतनी फरीदपुर, जिला–जहानाबाद का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 16.08.2023 को 02:00 बजे अपराह्न में अंचल कार्यालय, रतनी फरीदपुर, जिला–जहानाबाद में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Sudha Gupta	ADM Jehanabad	[signature] 16.08.23
2.	मनोरंजन कुमार सिंह	सेवानिवृत्त प्रधाना० कि उ प्र वि पश्चिम, [illegible]	[signature] 16.8.23
3.	Narendra Singh	MDO, Jehanabad	[signature] 16/08/23
4.	Naijur Saquib	Mines Inspector, DMO, Jehanabad	[signature] 16/8/23
5.	Nitish Kumar	P&M Solution, Noida. (Env. Consultant)	Nitish ku [signature]
6.	Apurav Gaurav adv-Ad	Pandaul PO Pandaul	Apurav Gaurav [signature]
7.	Ashutosh Kumar	Pokhma	[signature]
8.	Mukesh	Murhana	[signature]

9.	Suraj Kumar	Tulabigha	Suraj
10.	मोहन मांझी	गोपालपुर	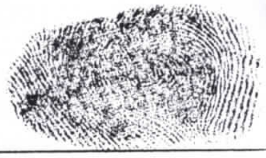
11.	Abhishek Anuragi	Gopalpur	Abhishek
12.	[illegible] माँझी	गोपालपुर	
13.	संजय कुमार	पटना	[signature]
14.	Sonu Kumar	Jehanabad	Sonu Kum
15.	Ganesh Kumar	Jehanabad	
16.	शशिकान्त	पटना	शशि
17.	कौशलेन्द्र कुमार	सिकन्दरपुर	कौशलेन्द्र कुमार
18.	विनोद कुमार	पंडौल	विनोद कुमार
19.	संतोष साह	खोरा	संतोष साह

20.	Samir Kumar	Rakhaura	Samir
21.	Mehan Kumar	Gopalpur	Mehan Kumar
22.	Mrityunjay Kumar	Jonbiha	[illegible]
23.	गौरव कुमार	जानीबिगहा	Gaurav
24.	सुजान पाण्डे	जानी बिगहा	Sujan Pandey
25.	दिलखुश पासवान	तुला बिगहा	दिल खुस
26.	गोलन कुमार	पोखमा	गोलन कुमार
27.	रौशन कुमार	पोखमा	Raushan
28.	कुन्दन कुमार	पोखमा	कुन्दन कुमार
29.	अजीत कुमार	पोखमा	अजीत कुमार
30.	मुन्ना कुमार	शेखतमचक	मुन्ना कुमार

31.	सुनील यादव	सलोना काशीपुर	सुनील यादव
32.	बिट्टू कुमार	[illegible]	बिट्टू कुमार
33.	पवन कुमार	सलेमचक	पवन कुमार
34.	संजीत कुमार	इस्लामपुर	संजीत कुमार
35.	उपेन्द्र	इस्लामपुर	उपेन्द्र
36.	Goldi Kumar	Rustamchak	Pandaul
37.	Suman Yadav	Pandaul	[illegible]
38.	Sunil Kum	पुरहरा	Sunil Ku
39.	करन माझी	पनराइल	करन माझी
40.	संजय कुमार	सिकन्दरपुर	संजय कुमार
41.	राजेश्वरी कुमारी	[illegible]	राजेश्वरी कुमारी